क्लीन ग्रीन कैम्पस नियमावली– 2019

1. विश्वविद्यालय–का तात्पर्य दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से है।
2. उद्देश्य–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कैम्पस के पार्कों एवं महापुरूषों की प्रतिमाओं को साफ सुथरा करने कैनोपी (छत) लगाने अथवा बदलने, प्रतिमाओं से सटे कैम्पस का सौदर्यीकरण कराना और उसके कचरे का निस्तारण करना है।
3. **नाम, विस्तार और प्रारम्भ**–(अ) यह नियामावली क्लीन ग्रीन कैम्पस नियमावली–2019 होगा।

   (ब)यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के मुख्य परिसर के अतिरिक्त सभी परिसरों पर भी लागू होगा।

   (द)यह नियमावली सभी सक्षम निकायों की संस्तुति के उपरांत दिनांक.....को लागू होगा।
4. **प्रायोजक**–प्रायोजक का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा पार्कों, कैम्पस एवं महापुरूषों की मूर्तियों का सौंदर्यीकरण करने हेतु व्यय वैगरह उठाने/गोद लेने से है। एक पार्क के एक ही प्रायोजक होंगे किन्तु दो पार्कों के एक प्रायोजक हो सकते है।
5. **समय सीमा** (i) प्रायोजक को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक पार्कों के सौंदर्यीकरण का उत्तरदायित्व उठाना होगा। उत्कृष्टता के आधार पर इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है।

   (ii) प्रायोजक को विश्वविद्यालय द्वारा तय समय–सीमा के अन्दर अपने कार्य को सम्पादित करना होगा अर्थात कार्य को तय सीमा के अन्दर समाप्त करना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थिति में समय सीमा बढ़ाया जा सकता है।
6. **स्वामित्व**–पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विश्वविद्यालय कैंपस के पार्कों के सौंदर्यीकरण हेतु गोद लिये हुए पार्कों पर प्रायोजक का कोई स्वामित्व नहीं होगा। प्रायोजक को पार्क में किसी व्यक्तिगत आयोजन का अधिकार नहीं होगा।
7. **व्यय**– (i) पार्कों एवं महापुरूषों की मूर्तियों के सौंदर्यीकरण पर होने वाला पूर्ण व्यय प्रायोजक द्वारा वहन किया जायेगा।

Nikhil Kumar

Scanned by CamScanner

(ii) विश्वविद्यालय परिसर में पार्कों एवं महापुरूषों की मूर्तियों के सौंदर्यीकरण के लिये माली/श्रमिक की व्यवस्था एवं पारिश्रमिक की व्यवस्था प्रायोजक द्वारा वहन किया जायेगा उक्त माली/श्रमिक से विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा। वे पूर्ण रूपेण प्रायोजक के द्वारा संचालित होंगे।

8. क्लीन ग्रीन कैम्पस को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु एक समिति होगी जिसमें एक संयोजक तथा चार सदस्य होंगे।

(अ) समिति की अध्यक्षता संयोजक द्वारा किया जायेगा।

(ब) कोई भी फैसला बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

(स) बैठक प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य होगा।

(द) समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा इसे घटाने–बढ़ाने का पूर्ण अधिकार माननीय कुलपति महोदय को होगा।

9. **<u>अन्य</u>**– (i) प्रायोजक द्वारा विज्ञापन के लिये लगाये गये पैनल का आकार 1.5X5.0 फीट से अधिक नहीं होगा। पैनल्स का स्थान उनकी संख्या और पैनल्स की बीच की दूरी समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। विज्ञापन सही एवं सत्यता के आधार पर होनी चाहिये।

(ii) प्रायोजक द्वारा गोद लिये गये पार्कों में वृक्षारोपण अथवा अन्य किसी क्रिया कलापों को करने हेतु समिति की संस्तुति के बाद लिखित अनुमति मिलने के बाद ही क्रियान्वित करना है।

(iii) पार्कों में वृक्षारोपण के लिये लगाये गये वृक्षों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक नही होनी चाहिये।

(iv) प्रायोजक द्वारा गोद लिये गये पार्कों में कूड़े कचरे के निस्तारण के लिये कूड़ेदानों की उचित व्यवस्था एवं कूड़े का निस्तारण समिति द्वारा चिन्हित स्थान पर किया जायेगा।

(v) प्रायोजक द्वारा गोद लिये गये पार्कों एवं महापुरूषों की मूर्तियों के सौंदर्यीकरण की रूप रेखा तैयार करते समय क्लीन ग्रीन कैम्पस समिति एवं परिसर सौंदर्यीकरण समिति के सदस्यों का परामर्श प्राप्त होने के उपरांत ही सुनिश्चित होगा।

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, फेंसिंग और जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(vii) विश्वविद्यालय समिति एवं प्रायोजक के बीच एक लिखित संविदा होगी जिसके अनुसार प्रायोजक सौंदर्यीकरण के कार्य को सुचारू तरीके से कर सकेंगे।

Sunita Nikhil Kumar

Scanned by CamScanner

(viii) प्रायोजक को विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में यथा सम्भव विशिष्ट अतिथि/अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया जायेगा।

(x) विवाद की स्थिति में कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

Scanned by CamScanner

संविदा–पत्र

विश्वविद्यालय कैम्पस के पार्कों के सौदर्यीकरण तथा रख–रखाव हेतु आज दिनांक .....को विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी (प्रथम पक्ष) एवं मैं..... द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तो एवं प्राविधानों के अधीन अनुबंध निष्पादित किया गया।

1. यह कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के तहत विश्वविद्यालय कैम्पस के पार्को के सौदर्यीकरण हेतु गोद लिए हुए पार्क एवं परिलब्धियों पर द्वितीय पक्ष का कोई स्वामित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष को पार्क में किसी व्यक्तिगत आयोजन का अधिकार नही होगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक पार्को के सौंदर्यीकरण का उत्तरदायित्व उठाना होगा। उत्कृष्टता के आधार पर इस समय सीमा को आगे भी बढाया जा सकता है।
3. यह कि पार्को के सौंदर्यीकरण पर होने वाला पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
4. यह कि विद्युत, फेंसिंग और जल आपूर्ति की सुविधा प्रथम पक्ष द्वारा प्रदान की जाएगी।
5. यह कि पार्को में वृक्षारोपण के लिए लगाए गए वृक्षों की ऊचाई अधिकतम 5 फीट से अधिक नहीं होनी चहिए।
6. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा विज्ञापन के लिए लगाए गए पैनल्स का आकार 1.5 फीट X 5. फीट से अधिक नही होना चाहीए। पैनल्स का स्थान, उनकी संख्या और पैनल्स के बीच की दूरी प्रथम पक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यह कि विश्वविद्यालय कैम्पस में स्थित स्वामी विवेकानन्द, दीन दयाल उपाध्याय और अन्य सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर कैनोपी/छत लगाने और गोद लिए पार्क के सौंदर्यीकरण, वृक्षों और प्रतिमाओं के रखरखाव का व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
8. यह कि विश्वविद्यालय परिसर में पार्को के सौंदर्यीकरण के लिए योजित माली/श्रमिक की व्यवस्था और पारिश्रमिक द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त माली/श्रमिक पूर्णतया द्वितीय पक्ष का आदमी होगा उससे किसी प्रकार का वास्ता एवं सरोकार प्रथम पक्ष का नहीं होगा।

Nikhil Kumar
Sunita

Scanned by CamScanner

9. यह कि प्रथम पक्ष का पूर्णतया मालिकाना हक कायम रहेगा। उसमें पार्कों में लगने वाले पेड़ पौधे अथवा स्थायी/अस्थायी निर्माण पूर्णतया प्रथम पक्ष के हाथ में रहेगा। उसे काटना या न काटना अथवा निर्माण तोड़ना या न तोड़ना प्रथम पक्ष के अधिकार क्षेत्र में होगा। द्वितीय पक्ष से उसका कोई वास्ता या सरोकार नहीं होगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा यदि कोई विधि विरूद्ध कार्य किया जाता है तो यह संविदा अपने आप स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
11. यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनो पक्षों को मान्य होगा।
12. यह कि गोद लिए पार्कों में वृक्षारोपण अथवा किसी क्रियाकलापों को द्वितीय पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति मिलने के बाद ही कर सकतें हैं।
13. यह कि द्वितीय पक्ष को गोद लिए गये पार्कों में कूड़ें कचरे के निस्तारण के लिए कूड़ेदानों की उचित व्यवस्था एवं कूड़े का निस्तारण प्रथम पक्ष द्वारा चिन्हित स्थान पर ही किया जायेगा।
14. यह कि गोद लिए गये पार्कों के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार करते समय क्लीन ग्रीन कैम्पस के सदस्य एवं परिसर सौंदर्यीकरण समिति के सदस्य का परामर्श प्राप्त होने के उपरान्त ही सुनिश्चित होगा।

लिहाजा खूब सोच समझ कर बिना जब्द दबाव दीगरे पढ़ सुन समझ कर स्वस्थ एवं स्वतंत्र मष्तिष्क से यह संविदा (अधिकार पत्र) लिखा गया कि वक्त जरूरत पर काम आवे और सनद रहे।

....

प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष

.....

ग0

.....

ग0

Scanned by CamScanner

क्लीन ग्रीन कैंपस

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विश्वविद्यालय कैंपस के पार्को के सौंदर्यीकरण हेतु, पार्को को गोद लेने के लिए आवेदन पत्र

- प्रायोजक / संस्था का नाम :
- प्रायोजक / संस्था के कार्यालय का पता :
- फ़ोन / मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी :
- प्रायोजक (हस्ताक्षरकर्ता) का आधार नंबर:
- प्रायोजक (हस्ताक्षरकर्ता) का पैन नंबर :
- गोद लिए गए पार्क का स्थान :
- गोद लेने की तिथि :
- गोद लेने की अवधि :

घोषणा :

मैं दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा निर्धारित किये गए शर्तो एवं नियमो के अनुसार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत गोद लिए गए पार्क का विकास कार्य करने तथा उसके रखरखाव करने के लिए सहमत हूँ । मैं यह कार्य पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ करूंगा ।

प्रायोजक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

16 पार्कों (स्थलों) के नाम –

1. प्रशासनिक भवन के पूरब
2. प्रशासनिक भवन के अन्दर की तरफ
3. अधिष्ठाता, कला संकाय एवं नियन्ता कार्यालय के चारों तरफ
4. एन.एस.एस. के पूरब
5. प्राणि विज्ञान रिसर्च सेन्टर के सामने
6. रसायन शास्त्र रिसर्च सेन्टर के सामने
7. पन्त भवन के सामने
8. भौतिकी विभाग के सामने
9. कला संकाय भवन के सामने
10. भूगोल विभाग के पश्चिम
11. मनोविज्ञान विभाग के पश्चिम
12. ललित कला एवं संगीत विभाग
13. गृह विज्ञान विभाग
14. दीक्षा भवन
15. संवाद भवन
16. हीरापुरी कालोनी स्थित नव निर्मित पार्क

Scanned by CamScanner